प्राचार्य कार्यालय, हर्ष विद्या मंदिर पी.जी.कॉलेज रायसी (हरिद्वार)

दिनांक -26.03.2024

आदेश

समस्त प्राध्यापकगण को आदेशित किया जाता हैं कि नीचे दिए गए बिदुओं पर तत्काल कार्यवाही करें |

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड सूचना एवं संचार प्रोधोगिकी प्रकोष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून के पत्रांक संख्या 470/42(NEP व्याख्यान)/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024 के अनुसार नीचे दी गयी तालिका में विवरण उपलब्ध कराएँ | NEP-2020 के अनुरूप प्रथम सेमेस्टर से 6^{th} सेमेस्टर एवं स्नातकोतर के प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय में वीडिओ व्याख्यानों का निर्माण कर उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड सूचना एवं संचार प्रोधोगिकी प्रकोष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून को उपलब्ध कराना हैं | इस सन्दर्भ में में पूर्व में आपको आदेशित किया गया हैं |

आपके द्वारा बनाये गए वीडिओ ई-मेल आई.डी.ukheictcell@gmail.com पर प्रेषित करें | महाविद्यालय में अध्यनरत समस्त छात्र-छात्राओं को संलग्न क्यूआर कोड के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के यू-टयूब चैनल Uttarakhand Tele Network सब्सक्राइब कराएँ ताकि चैनल पर उपलब्ध व्याख्यानों से छात्र-छात्रा लाभान्वित हो सकें |

आपके द्वारा निर्माण हेतु दिशा निर्देश अपनाये जाने आवश्यक हैं –

1. व्याख्यान वादन कम से कम 30 मिनट के होने चाहिए |
2. व्याख्यान वीडिओ+ऑडियो अथवा पी.पी.टी+ऑडियो पर आधारित होने चाहिए |
3. व्याख्यान वीडिओ+ऑडियो स्पष्ट हो एवं अन्य कोई बाहरी शोर नहीं होना चाहिए |
4. व्याख्यानों में यदि बोर्ड का प्रयोग किया गया हो तो बोर्ड पर अंकित पाठ्य सामग्री स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए |
5. व्याख्यान के साथ अपना एवं व्याख्यान का सम्पूर्ण विवरण जैसे टॉपिक,वर्ष एवं सेमेस्टर तथा प्रश्नपत्र से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जानी आवश्यक हैं |
6. रिकार्डेड व्याख्यान के साथ व्याख्यान की सामग्री हस्त निर्मित नोट्स अथवा पी.पी.टी को पी.डी.ऍफ़ में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हैं |

उपरोक्त सन्दर्भ में पूर्व में कई आदेश निर्गत किये जा चुके हैं |

ALERT

प्रो. राजेश चन्द्र पालीवाल

प्राचार्य